(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9 अंडर हिल रोड, नयी दिल्ली.

सं.फा. 19(80)/परिवहन/सचि0/2008/733 — दिनांक: 11 नवम्बर, 2008

अधिसूचना

सं.फा. 19(80)/परिवहन/सचि0/2008/.– मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन किये गये तथा अनुसूची के समरूप कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट राशि सहित कॉलम 2 में उल्लिखित धारा/धाराओं के अधीन उत्तरदायी यातायात अपराधों के समाधान के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम 4 में यथा उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं :–

क्र0 सं0	धारा जिसके अधीन अपराध दंडनीय है	विनिर्दिष्ट दंड के लिये राशि (रुपये)	वे अधिकारी जिन्हें समाधान करने का अधिकार प्रदत्त है
1	2	3	4
1	177 (प्रथम अपराध)	90.00	दिल्ली यातायात पुलिस के प्रधान सिपाही अथवा इससे ऊपर के रैंक के तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सिपाही तथा इससे ऊपर के अधिकारी
2	177 (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	270.00	– वही –
3	178 (1) और (2)	450.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप–निरीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक उप–निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
4	178 (3) (क)	45.00	– वही –
5	178 (3) (ख)	180.00	– वही –
6	179 (1) और (2)	450.00	– वही –
7	180	900.00	– वही –
8	181	450.00	– वही –
9	182 (1)	450.00	– वही –
10	182 (2)	90.00	– वही –
11	183 (1) (प्रथम अपराध)	360.00	– वही –
12	183 (1) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	900.00	– वही –
13	183 (2) (प्रथम अपराध)	270.00	– वही –
14	183 (2) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	450.00	– वही –
15	184 (प्रथम अपराध)	900.00	– वही –

क्रमश: पेज 2 पर

16	184 (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	1800.00	वही
17	186 (प्रथम अपराध)	180.00	– वही –
18	186 (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	450.00	वही
19	189	450.00	– वही –
20	190 (2) (प्रथम अपराध)	900.00	– वही –
21	190 (2) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	1800.00	वही
22	191	450.00	परिवहन विभाग के सहायक उप निरीक्षक अथवा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी
23	192 (1) (प्रथम अपराध)	4500.00	दिल्ली यातायात पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के रैंक के अधिकारी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तथा परिवहन विभाग में सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
24	192 (1) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	9000.00	– वही –
25	194 (1)	2000 001 1000 अतिरिक्त भार का प्रति टन ऑफ भार का प्रभार	परिवहन विभाग के सहायक उप-निरीक्षक अथवा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी
26	194 (2)	2700.00	– वही –
27	196	900.00	– वही –
28	198	90.00	– वही –

2. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समाधान की गई राशि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के "मुख्य शीर्ष 0041, वाहनों पर कर, 101–आईएमवी (शुल्क एवं दंड)", में जमा की जायेगी।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रकाशित होगी । मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के अधीन 22 दिसम्बर, 1998 को जारी पूर्व अधिसूचना रद्द समझी जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(आर० के० वर्मा)
सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART- IV EXTRA –ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(TRANSPORT DEPARTMENT)
5/9,UNDER HILL ROAD,DELHI-54.

NO.F.19(80)/ Tpt./Sectt/2008/733   Dated the 11th November, 2008

NOTIFICATION

NO.F.19(80)/ Tpt./Sectt/2008/ .- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 200,read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act. 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the officers as mentioned in column No. 4 of the Schedule given below to compound traffic offences committed under the said Act and liable under the section/sections mentioned in column 2, with the amounts specified in the corresponding column 3 of the Schedule.-

Sl.No	Section under which offence is punishable	Amount for composition specified (Rs.)	Officers to whom authority is conferred to compound
1	2	3	4
1	177 (1st offence)	90.00	Officers of the rank of Head Constable or above of Delhi Traffic Police and Head constable and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
2	177 (2nd or subsequent offence)	270.00	-do-
3	178 (1) or (2)	450.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector or above of Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
4	178 (3) (a)	45.00	-do-
5	178 (3) (b)	180.00	-do-
6	179 (1) or (2)	450.00	-do-
7	180	900.00	-do-
8	181	450.00	-do-
9	182 (1)	450.00	-do-
10	182 (3)	90.00	-do-
11	183 (1) (1st offence)	360.00	-do-
12	183 (1) (2nd or subsequent offence)	900.00	-do-
13	183 (2) (1st offence)	270.00	-do-
14	183 (2) (2nd or subsequent offence)	450.00	-do-

Contd......2

15	184 (1st offence)	900.00	-do-
16	184 (2nd or subsequent offence)	1800.00	-do-
17	186 (1st offence)	180.00	-do-
18	186 (2nd or subsequent offence)	450.00	-do-
19	189	450.00	-do-
20	190 (2) (1st offence)	900.00	-do-
21	190 (2) (2nd or subsequent offence)	1800.00	-do-
22	191	450.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector or above of the Transport Department
23	192 (1) (1st offence)	4500.00	Officers of the rank of Assistant Sub Inspector and above in the Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of the Transport Department
24	192 (1) (2nd or subsequent offence)	9000.00	-do-
25	194 (1)	2000.00 1000 per tonne of excess load+ charges of off load	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector or above of the Transport Department
26	194 (2)	2700.00	-do-
27	196	900.00	-do-
28	198	90.00	-do-

2. The amount compounded by the authorized officers shall be deposited in the "Major Head 0041, taxes on vehicles, 101-IMV (Fees & Fine)", of the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi.

3. This notification comes into effect from the date of its publication in the official Gazette. The previous notification issued on 22nd December, 1998 under section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 cease to have effect.

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi

R.K.Verma
Secretary cum Commissioner (Tpt)

एल-15, एल-16, एल-17, एल-19, एल-19ए, एल-19एफ, एल-20, एल-49ए, एल-52, एल-52एफई, एल-52एफजी, एल-53, सीएलडब्ल्यू-1, एफएलडब्ल्यू-2, एच-1 (भांग) और अफीम की दुकानों पर लागू होगा।

क्रम सं.	दिनांक	दिन
1.	13-12-2008 (सांय 5 बजे तक)	शनिवार
2.	15-12-2008 (मतगणना दिवस)	सोमवार

इस प्रशासन की दिनांक 13-12-2007 की अधिसूचना सं.एफ 10(56)96-97/आईएमएफएल/आब./6216-6231 के अनुसार मद्य-निषेध दिवसों के अलावा उपर्युक्त दिन मद्य-निषेध दिवस होंगे।

आर. एन. पिल्लै, आबकारी आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 2008

No. F. 10(56)/96-97/IMFL/Ex/7116-32.— In pursuance of the provision of sub-rule (12) of rule 33 of the Delhi Liquor Licence Rules, 1976, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "Dry Days" in the Assembly Constituency going for bye election i.e. AC-39 Rajender Nagar by all L-1, L-1A, L-1F, L-2, L-2A, L-2F, L-2FE, L-2FG, L-4, L-4B, L-4F, L-5, L-5A, L-5B, L-5F, L-6, L-6A, L-7, L-7F, L-9, L-10, L-11, L-12, L-15, L-16, L-17, L-19, L-19A, L-19F, L-20, L-49A, L-52, L-52FE, L-52FG, L-53, CLW-1, FLW-2, H-1 (Bhang) licensees and opium vends located in the above referred constituency.

Sl. No.	Date	Day
1.	11-12-2008 from 5.00 P.M. onwards	Thursday
2.	12-12-2008	Friday
3.	13-12-2008 upto 5.00 P.M.	Saturday
4.	On the counting day i.e. on 15-12-2008	Monday

The following dates/days shall be observed as "Dry Days" in the adjoining constituencies of AC-39 Rajender Nagar i.e. AC-40 New Delhi, AC-38 Delhi Cantt, AC-28 Hari Nagar, AC-25 Moti Nagar, AC-23 Karol Bagh and AC-24 Patel Nagar by all L-1, L-1A, L-1F, L-2, L-2A, L-2F, L-2FE, L-2FG, L-4, L-4B, L-4F, L-5, L-5A, L-5B, L-5F, L-6, L-6A, L-7, L-7F, L-9, L-10, L-11, L-12, L-15, L-16, L-17, L-19, L-19A, L-19F, L-20, L-49A, L-52, L-52FE, L-52FG, L-53, CLW-1, FLW-2, H-1 (Bhang) licensees and opium ends located in the above referred constituency.

Sl. No.	Date	Day
1.	13-12-2008 upto 5-00 P.M.	Saturday
2.	On the counting day i.e. on 15-12-2008	Monday

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days notified vide Notification No. F. 10(56)96-97/IMFL/Excise/6216-6231 dated 13-12-2007.

R. M. PILLAI, Commissioner (Excise)

राज्य परिवहन प्राधिकरण

(परिवहन विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2008

सं. फा. पीसीओ (एसटीए)/परिवहन शाखा/06/07/पार्ट-II/482.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल पूर्व प्रकाशनों के पश्चात् एवं प्राप्त हुई किन्हीं भी आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करते हुए एतद्द्वारा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें पड़ोसी राज्यों के वे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिन्हें क्षेत्रीय योजना-2021 में परिभाषित किया गया है, में संविदा वाहनों के निर्बाध परिचालन हेतु पारस्परिक सामूहिक परिवहन समझौते को प्रकाशित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेष की सरकारों के बीच परस्पर सामान्य परिवहन समझौता

जबकि प्रभावी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) जिसमें दिल्ली के निकटवर्ती राज्यों अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के भाग शामिल हैं, जैसा क्षेत्रीय योजना, 2021 के पैरा 2.1 में परिभाषित तथा परिशिष्ट–I पर संलग्न है, के विकास के हितों को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी इन राज्यों के बीच परस्पर सामूहिक समझौते के द्वारा अन्तर्राज्य यातायात के निर्बाध एवं सुचारू आवागमन की अत्यधिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र परिशिष्ट–II पर संलग्न है।

अब इसलिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर राजी हैं–

यह समझौता हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें (जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी/कार्यालय के पदाधिकारी शामिल होंगे) के बीच आज दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 को किया जाता है।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज आर्थिक विकास तथा पर्यावरण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों तथा सामान के अन्तर्राज्य यातायात के निर्बाध तथा सुचारू आवागमन को प्रोत्साहित करने तथा उनकी गतिविधियों के विनियमन, समन्वय एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच तथा माध्यम से परस्पर सामूहिक समझौता किया जाना आवश्यक है।

और जबकि इसके पक्ष सहमत है कि यह समझौता इस विषय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किए गए सभी पिछले समझौतों का अधिक्रमण करता है। इस समझौते के प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू अन्य सभी समझौतों का निरस्तीकरण होगा।

अब यह विलेख साक्ष्य है और सभी पक्ष निम्नलिखित रूप से परस्पर सहमत हैं :–

1. समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा। किसी क्षेत्र में वाहनों के आवागमन के लिए निर्दिष्ट न्यायालय के आदेशों/दिशा–निर्देशों का पालन होगा।

2. कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट:

(i) मोटर कैब / टैक्सी परमिट (गैर अस्थायी परमिट)–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रचलित यूरो मानकों का अनुसरण कर स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) उपयोग करने वाले तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत मोटर कैब / टैक्सी के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में घटक क्षेत्र में यथासंशोधित, यदि कोई हो, इन राज्यों में से किसी एक में जारी कांट्रेक्ट कैरिज परमिटों पर भागीदार राज्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूरो मानकों का अनुसरण कर स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) उपयोग करने वाले तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में घटक क्षेत्र में यथासंशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के उप–क्षेत्रों में पंजीकृत मोटर कैब / टैक्सियाँ बिना प्रतिबंध के चल सकती हैं तथा यात्री कर और सड़क कर से छूट प्राप्त है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी राज्य में पंजीकृत वाहन पर भुगतान किए गए परमिट प्रभारों के अलावा कोई अतिरिक्त परमिट प्रभार नहीं लिया जाएगा। केवल सीएनजी ईंधन पर चलने वाले आटो रिक्शा तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में घटक क्षेत्र में यथासंशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उप क्षेत्रों में पंजीकृत आटो रिक्शा बिना प्रतिबंध के चल सकते हैं तथा यात्री कर और सड़क कर से छूट प्राप्त है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी राज्य में पंजीकृत वाहन पर भुगतान किए गए परमिट प्रभारों के अलावा कोई अतिरिक्त परमिट प्रभार नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत एवं प्रदेशों की सीमाओं के आर पार आने–जाने वाली आटो रिक्शाओं एवं टैक्सियों के सुगम आवागमन के लिये उन्हें कलर कोड तथा लोगो दिया जायेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत टैक्सियों / आटो रिक्शाओं को एनसीआर सीमा में प्रविष्टि के लिये किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आटो रिक्शाओं का अन्तर्राज्यीय परिचालन परिशिष्ट–III में दी गई संख्याओं के अनुसार होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली में नगर / जिलावार परमिट / रूट / क्षेत्रों का आबंटन संबंधित राज्य सरकारों अथवा संबंधित विभागों द्वारा उनके जिलों / नगरों की मांग / सामर्थ्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि इन वाहनों के परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर करवाए जाने आवश्यक होंगे। दिल्ली में अन्तर्राज्यीय आटो का आवागमन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी संख्या में छूट की सीमा के अनुसार होगा।

(ii) मोटर कैब को छोड़कर कांट्रेक्ट कैरिज परमिट (मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत गैर अस्थायी परमिट) :

मोटर कैब को छोड़कर अन्य कांट्रेक्ट कैरिज वाहनों जिनमें शिक्षा संस्थानों की बसें शामिल हैं, जो विद्यार्थियों शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को इसकी गतिविधियों के संबंध में, स्वच्छ ईंधन प्रयोग करने वाले (सीएनजी), एनसीआर में यूरो नियमों का पालन करने वाले तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा घटक क्षेत्र में परवर्ती संशोधन, यदि कोई है, एनसीआर में पंजीकृत वाहनों के परमिटों को इन राज्यों द्वारा जारी किए जाने पर प्रतिभागी

राज्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसे कांट्रेक्ट कैरिज (मोटर कैब को छोड़कर) जो एन0 सी0 आर0 में पंजीकृत है तथा सीमा के आर–पार चलाए जा रहे है उनका परस्पर समझौते के अनुसार एक रंग कोड तथा लोगो दिया जायेगा ताकि उनकी शीघ्रता से पहचान हो सके। इन सभी वाहनों में उच्चतम न्यायालय के समय–समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार गति नियंत्रण उपकरण लगे होंगे।

(iii) कांट्रेक्ट कैरिज परमिट (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अस्थायी परमिट).

इन राज्यों के परिवहन अधिकरणों द्वारा अन्य राज्यों की सहमति के बिना, यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार, कितनी भी संख्या में परमिट जारी किए जा सकते हैं। परमिट में दौरा कार्यक्रम का विवरण, जाने तथा वापिस आने की तिथियाँ, जिन स्थानों की यात्रा की जानी है उनका क्रम, प्रत्येक स्थान पर पहुँचने तथा प्रस्थान की सही तिथि का विवरण दिया जायेगा। इन परमिटों में वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची भी दी जायेगी। इन सभी वाहनों में समय–समय पर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गति नियंत्रण उपकरण लगे होंगे। ये वाहन एन0 सी0 आर0 में प्रवृत्त पूरे नियमों के अनुसार स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) का प्रयोग करेंगे।

3 अस्थायी परमिटों के लिए सामान्य प्रावधान

(i) विभिन्न प्रकार के अस्थायी परमिटों (कांट्रेक्ट कैरिज) के लिए प्रत्येक मास अलग सूची जारी करके उसे अन्य राज्यों द्वारा संबंधित राज्य के परिवहन आयुक्त या संबंधित सक्षम प्राधिकारी को सौंपा जायेगा।

4 कराधान :

(1) सभी वाहनों (कांट्रेक्ट) की लाइसेंस/परमिट फीस/कर प्रतिहस्ताक्षर फीस प्रतिभागी राज्यों द्वारा अपनी नीतियों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

(2) कांट्रेक्ट कैरिज परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहनों पर एकल बिन्दु कर [5] एवं समान कर दरें लागू होंगी। जब तक समान दरों पर निर्णय नहीं हो जाता कर संग्रहण की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

(3) अस्थायी परमिट प्रवृत्त नियमों के अनुसार द्वि–बिन्दु कराधान [6] के आधार पर जारी किए जायेंगे तथा वाहनों को अन्य समझौते वाले राज्य को देय कर का भुगतान करना होगा।

(4) इस समझौते के अन्तर्गत जारी अस्थायी परमिटों के विषय में सूचना परमिट जारी करने वाले समझौते वाले राज्यों के परिवहन अधिकरण को यथाशीघ्र प्रदान की जायेगी जिसमें वाहन के स्वामी का विवरण, वाहन का पंजीकृत लदान भार/प्रदान किए गए परमिट का मार्ग तथा परमिट की वैधता की अवधि बताई जाएगी। यह सूचना राज्य परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त या सचिव, जैसी भी स्थिति हो, के नाम पर दी जायेगी।

5. सामान्य

(i) पारस्परिक राज्य, इन राज्यों में अन्तर्राज्जीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों के कर दोनों, ड्राइवर तथा कन्डक्टर लाइसेंस, परिवहन वाहन अधिकरण तथा प्रत्येक राज्य द्वारा संबंधित नियमों के अधीन जारी फिटनेस प्रमाण–पत्र को इस समझौते के अनुसार मान्यता प्रदान करेंगे।

(ii) यह समझौता अगले दस वर्षों तक या घटक राज्यों द्वारा किसी नये समझौते के होने की अवधि, इनमें जो पहले हो, तक के लिए वैध होगा। यदि आवश्यकता पड़े तो पाँच वर्षों के बाद समझौते की समीक्षा की जा सकती है। जबकि अन्य प्रासंगिक विषयों का समाधान समूह की वार्षिक बैठक में हल किया जा सकता है इन समझौते के दायरे में परिवर्तनों के लिए पुनः अधिसूचना वार्षिक आधार पर जारी की जा सकती है।

(iii) पारस्परिक समझौते की शर्तों के अंतर्गत जारी परमिट पर सामान्यतः उस राज्य के प्रतिहस्ताक्षर का तत्कालीन शुल्क तथा अन्य करों का भुगतान कर दिए जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण या संबंधित राज्य की राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। यह केवल कांट्रेक्ट कैरिज बसों / मिनी बसों के मामले में वैध होगा। मोटर कैब / टैक्सी तथा आटो रिक्शा के लिए कोई कर (सवारी / सड़क कर) देय नहीं होगा।

(iv) एन0सी0आर0 राज्यों द्वारा निश्चित लदान भार की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(v) जब तक इस विषय पर कोई अन्य निदेश जारी नहीं किए जाते वाहन की आयुसीमा सी0एन0जी0 वाहनों में पन्द्रह वर्ष तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए आठ वर्ष होगी।

(vi) राज्य एन0सी0आर0 जिलों के ड्राइवरों वाहन पंजीकरण तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का डाटा कम्प्यूटरीकृत करने के लिए वरीयता के आधार पर कार्यवाही करेंगे। राज्य आर0एफ0आई0डी0 योग्य पंजीकरण प्लेटों के प्रयोग, पुरानी पंजीकरण प्लेटों को चरणबद्ध रूप से बदलने, नये वाहनों में जी0पी0एस0 वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लगाने, परिवहन संबंधी विभिन्न करों को जमा करने के लिए ई–भुगतान के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु विशेष प्रयास भी करेंगे। ड्राइवरों की अंगुली–निशानों की बार–कोडिंग भी तैयार की जाएगी।

(vii) इस समय दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं है। समस्त संघटक राज्य तथा अन्य भागीदार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की यथाशीघ्र त्वरित उपलब्धता के लिए प्रयास करेंगे।

इसके साक्ष्य के रूप में इसके पक्षों ने इस समझौते पर पहले बताये गये उपरोक्त दिन तथा वर्ष को हस्ताक्षर किए हैं।

हरियाणा सरकार के लिए तथा की ओर से

(ह0/–)

(समीर माथुर)
वित्त आयुक्त एवं प्रधानसचिव(परिवहन)
परिवहन विभाग
हरियाणा सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए तथा की ओर से

(ह0/–)

(ए.के.चतुर्वेदी)
विशेष आयुक्त
परिवहन विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राजस्थान सरकार के लिए तथा की ओर से

(ह0/–)

(एस.एन.थनवी)
प्रधान सचिव (परिवहन)
परिवहन विभाग
राजस्थान सरकार जयपुर

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तथा की ओर से

(ह0/–)

(मधुकर द्विवेदी)
विशेष सचिव (परिवहन)
परिवहन विभाग
उत्तर प्रदेश, सरकार

साक्षी:

(ह0/–)

(डॉ. नूर मोहम्मद)
सदस्य सचिव
एनसीआर योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

साक्षी:

(ह0/–)

(सुरेन्द्र कुमार)
उप–सचिव (यूटी)
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

1. अन्तर्राज्जीय यातायात का बेरोकटोक परिचालन उन वाहनों का बैरियर/सीमा पर बिना रोके परिचालन है जो एनसीआर के जिलों में पंजीकृत है।

2. अन्तर्राज्जीय यातायात का निर्बाध परिचालन सवारी वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना परिवहन प्रकार बदले अथवा यात्रा के प्रकारों में त्वरित व प्रभावी अंतरण के परिचालन है।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा एनसीआर में यातायात के परिचालन के संबंध में समय–समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एन सी आर क्षेत्र में किया जाएगा और यह इस अनुबंध में सम्मिलित राज्यों पर भी लागू होगा, चाहे उनका उल्लेख हो या न हो।

4. आटो रिक्शों से आशय है तीन-सीट वाले आटो रिक्शा जो सी.एन.जी ईंधन से चलते हों।

5. एकल बिन्दु कराधान– संबंधित राज्यों को केवल सवारी कर दिया जाएगा।

6- द्वि–बिन्दु कराधान–संबंधित राज्यों को पथ कर तथा सवारी कर, दोनों ही दिए जाएंगें।

परिशिष्ट–I

एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना–2021 का अनुच्छेद 2.1

एनसीआर के संघटक क्षेत्र

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1,483 वर्ग कि०मी०)। यह संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र का 4.41% है।

ख) हरियाणा का उपक्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुड़गाँव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात तथा पानीपत जिले सम्मिलित हैं। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 30.33%(13,413 वर्ग कि०मी०) तथा एनसीआर क्षेत्र का 39.95% है।

ग) राजस्थान का उपक्षेत्र जिसमें अलवर जिला सम्मिलित है। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 2.29% (7,829 वर्ग कि०मी०) तथा एनसीआर क्षेत्र का 23.32% है।

घ) उत्तर प्रदेश का उपक्षेत्र जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तथा बागपत जिले सम्मिलित हैं। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 4.50% (10,853 वर्ग कि०मी०) तथा एनसीआर क्षेत्र का 32.32% है।

इस प्रकार एनसीआर का कुल क्षेत्र 33,578 वर्ग कि०मी० है, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना–2021 संघटक क्षेत्र के मानचित्र 2.1 में निर्दिष्ट है।

परिशिष्ट II

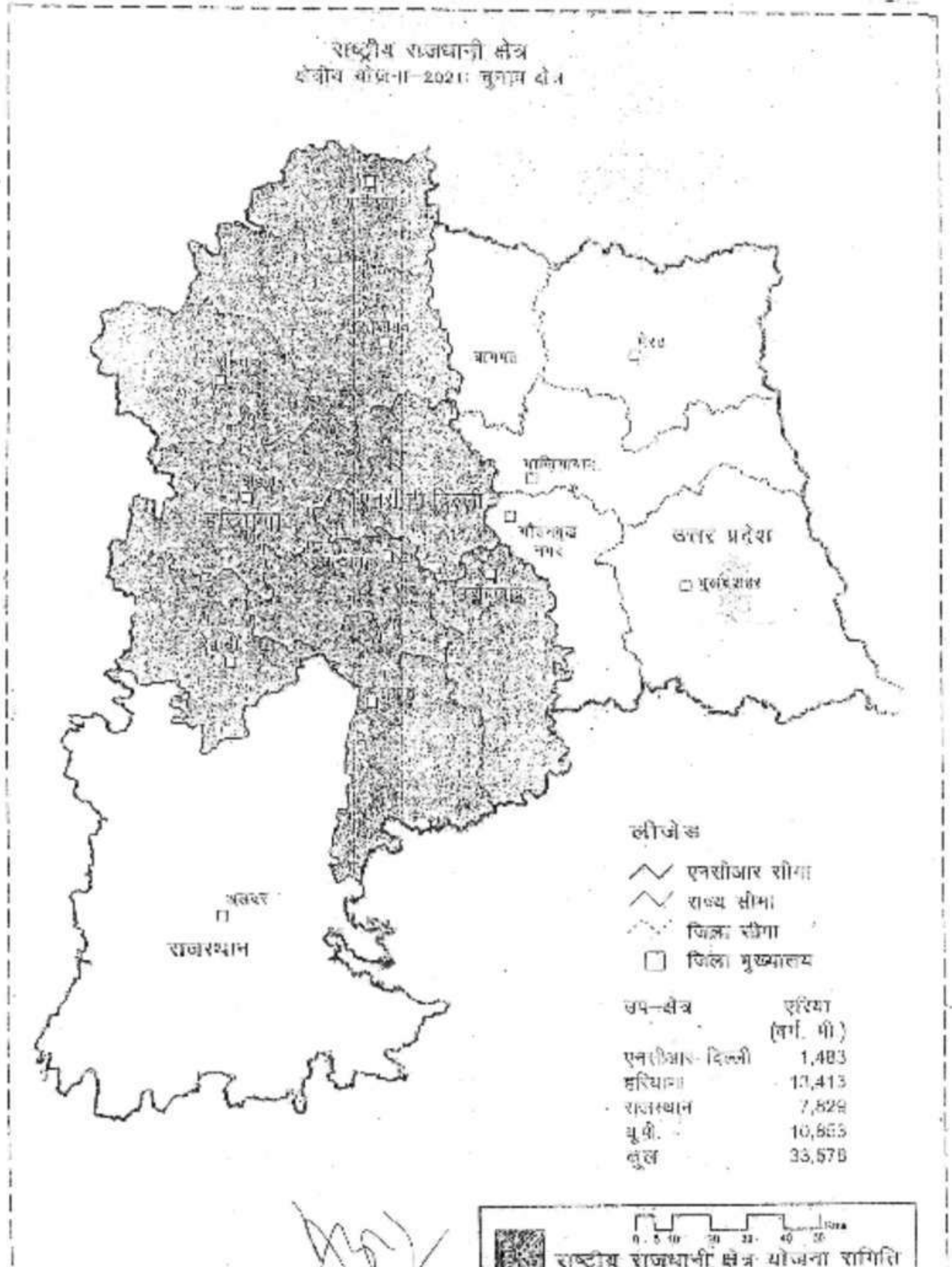

4854DG/08–2

परिशिष्ट III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिचालन हेतु ऑटो रिक्शाओं की संख्या

राज्य	से	तक	ऑटो रिक्शाओं की संख्या
दिल्ली–उत्तरप्रदेश	दिल्ली	उत्तरप्रदेश	4000
	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	4000
दिल्ली–हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	4000
	हरियाणा	दिल्ली	4000
उत्तरप्रदेश–हरियाणा	उत्तरप्रदेश	हरियाणा	1000
	हरियाणा	उत्तरप्रदेश	1000
राजस्थान–हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	500
	हरियाणा	राजस्थान	500

STATE TRANSPORT AUTHORITY

(Transport Department)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 2008

No. PCO (STA)/DTC Cell/06/07/Pt.II/482.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi after previous publication and taking into consideration any objections and suggestions received, hereby publish the Reciprocal Common Transport Agreement among Governments of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh for unrestricted movement of Contract Carriages in National Capital Region comprising parts of adjoining States to National Capital Territory of Delhi as defined in the Para 2.1 of the Regional Plan-2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi,

R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

RECIPROCAL COMMON TRANSPORT AGREEMNET AMONG THE GOVERNMENTS OF HARYANA, NCT OF DELHI, RAJASTHAN AND UTTAR PRADESH

Whereas in the interest of facilitating development of an effective National Capital Region (NCR) comprising parts of adjoining States to Delhi i.e. Haryana, Rajasthan & Uttar Pradesh as defined in the Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and is at Annexure-I, there is dire need for unrestricted[1] and seamless[2] movement of interstate traffic in the National Capital Region i.e. among these States by a reciprocal common agreement. A map showing Constituents area of National Capital Region is at Annexure-II.

Now, therefore, the Governments of Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh hereby agree on the following terms and conditions:-

This agreement is made on 14[th] day of October, 2008 among the Governments of Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh (which expression shall include their successor/assigns in office).

WHEREAS, it is expedient in view of the rapid economic development and environment of the National Capital Region to encourage unrestricted and seamless movement of interstate traffic of the passengers and goods in the NCR and to regulate, coordinate and control their operations, it is necessary to make a reciprocal common agreement among and through the Constituent States of NCR i.e. Haryana, GNCT-Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh.

AND WHEREAS the parties hereto agree that this agreement supercedes all the previous agreements on the subject entered into between them or among them for NCR. This Agreement shall have an overriding effect over all the other Agreements hereby applicable to NCR in this regard.

NOW THIS DEED WITNESSES and the parties hereby mutually agree as follows:-

1. This agreement shall come into force with immediate effect. The Court Orders/ Directions specific to the movements of vehicle in an area will have to be obeyed[3].

---

[1] Unrestricted movement of interstate traffic is the movement of vehicles registered in the NCR districts without stopping at barriers/borders.

[2] Seamless movement of interstate traffic is the movement of passenger vehicles from one State to another State without changing the mode of travel or quick and efficient transfer among modes in performance of the journey.

[3] Directions/Orders given by the Hon'ble Supreme/High Court related to movements of the traffic in the NCR on various occasions shall be enforced in NCR irrespective of their mention as applicable to the State concerned in this Agreement.

2. Contract Carriage Permits:

(i) Motor Cab/ Taxi Permits (Non-Temporary Permits):
Contract carriage permits for motor cab/ taxi using clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR and registered in NCR area as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and subsequent modification in the Constituent area, if any, will be required to be countersigned by participating States on being issued by any of these States. Motor cabs/Taxis using clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR, registered in Delhi, Sub-regions of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, comprising of National Capital Region area as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and subsequent modification in the Constituent area, if any, may move unrestricted and are exempted from paying passenger tax and road tax. No additional permit charges would be required to be paid in addition to permit charges paid in the State where the vehicle is registered in NCR. Auto rickshaws[4] operating only on CNG fuel and registered in NCT-Delhi and Sub-regions of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh constituting National Capital Region as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and subsequent modification in the Constituent area, if any, may move in the NCR and are exempted from paying passenger tax and road tax. No additional permit charges would be required to be paid in addition to permit charges paid in the State where the vehicle is registered in NCR. The auto-rickshaws and taxis registered in NCR and plying across the border would be given a colour code and logo for easy recognition. There would not be any kind of tax for taxis and auto-rickshaws registered in NCR entering into any area within NCR boundary. Interstate movement of auto rickshaws in NCR would be as per numbers given in Annexure III. Town/Districts wise allocation of permits/routes/areas in Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh would be made by the concerned State Governments or their departments depending upon the demand/potential in their districts/towns. However, countersigning of the permits for these vehicles would be required. Inter-state movement of auto-rickshaws in Delhi would be subject to the relaxation of ceiling on its numbers by the Hon'ble Supreme Court.

(ii) Contract Carriage Permits other than Motor cabs (Non Temporary Permits under the motor Vehicle Act, 1988):
Contract carriage permits for vehicles other than motor cabs, including educational institutional buses used solely for the purpose of transporting students / staff of the educational institutions in connection with any of its activities, using clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR and registered in NCR area as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and subsequent modification in the Constituent area, if any, will be required to be countersigned by participating States on being issued by any of these States. The contract carriages (other than motor cabs) registered in NCR and plying across the border

[4] Auto-rickshaws means three seater auto-rickshaws operating on CNG fuel

would be given a colour code and logo for easy recognition. All these vehicles will be subject to speed controlled devices as per the orders of the Supreme Court issued from time to time.

(iii) Contract Carriage Permits (Temporary Permits under the motor Vehicle Act, 1988):

Permits may be issued by the Transport Authority of these States irrespective of numbers without prior concurrence of the Transport Authority of the other State, according to the need of the commuters/passengers. The permit shall contain the detailed programme of the tour, showing the dates of onward and return journeys, the order in which the various places shall be visited along with and indication of the appropriate date of the arrival and the departure from each such place. These permits shall also contain list of passengers traveling in the vehicle. All these vehicles will be subject to speed controlled devices as per the orders of the Supreme Court issued from time to time. These vehicles shall use clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR.

3. **General Provisions for Temporary Permits:**

(i) Separate list of different types of Temporary Permits (Contract Carriage) issued in each month shall be submitted to the Transport Commissioners or concerned competent authority of each State by the other State.

4. **Taxation:**

(1) The licence/permit fee/tax/countersignature fee for all the carriages (Contract) shall be fixed by the members of all the participating states as per their own policies.

(2) Single point tax[5] and uniform tax rates shall apply to vehicles covered by contract carriage permits. Till uniform rates are decided, existing tax rates for collection of taxes may continue.

(3) Temporary permits shall be issued on the basis of double point taxation[6] according to rules in force and the vehicles shall be liable to pay taxes due to the other reciprocating State.

(4) Information regarding temporary permits issued under this agreement shall, as soon as possible, be given by the permit issuing Transport Authority, to the

[5] Single point taxation - only passenger tax to be paid to the concerned State.
[6] Double point taxation - road tax and the passenger tax both to be paid to the concerned State.

reciprocating State issuing the permit stating details of vehicle owners(s) registered laden weight of the vehicle/route for which the permit is granted and the period of validity of the permit. This information shall be given in the name of the Transport Commissioner or the Secretary, State Transport Department, as the case may be.

5. **General:**

(i) The reciprocating States shall accord recognition of the Tax tokens, drivers and conductor license, transport vehicle authorization and the certificate of fitness issued under the relevant rules of each of these States in respect of vehicles operating on Interstate routes, in accordance with this agreement.

(ii) This agreement shall be valid for next ten years or till such time a new Agreement is signed among the constituent States which ever is earlier. The Agreement can be reviewed after five years, if need arises. While other peripheral issues can be sorted out in the annual meeting of the Group, a re-notification for the changes within the framework of the Agreement can then be done on annual basis.

(iii) Permits issued within the terms of reciprocal agreement should normally be counter signed immediately on presentation before the Regional Transport Authority or the State Transport Authority of the concerning States, subject to payment of countersignature fee and other taxes due to that States for the time being. This is valid only in case of Contract Carriage buses/mini buses. In case of Motor cabs/Taxis & Auto rickshaws no taxes (passenger/road tax) shall be payable.

(iv) Ladden weight restriction fixed by NCR states shall not be exceeded.

(v) The Age of the vehicle shall be limited to fifteen years for CNG vehicles and eight years for diesel operated vehicles till any further Directions are issued in this regard.

(vi) The States shall take initiative to computerize the database of drivers, vehicle registration and other related information in the NCR districts on priority basis. States should also endeavor to implement the usage of RFID enabled registration plates, replace old registration plates in phased manner, GPS vehicle tracking system in new vehicles, expedite the implementation of e-payment for depositing various taxes related to transportation and ensure bar-coding of finger-prints of drivers.

vii) At present sufficient number of CNG stations are not available in most of the areas of NCR other than Delhi. All the constituent States and other stakeholders will endeavour expediting the availability of CNG in NCR at the earliest possible.

IN WITNESS THEREOF the parties hereto have signed this agreement on day and year first above written.

For and on behalf of the Government of Haryana:

Sd/-
(Samir Mathur),
Financial Commissioner and Principal Secretary (Transport),
Transport Department,
Government of Haryana

For and on behalf of the Government of NCT of Delhi:

Sd/-
(A.K. Chaturvedi)
Special Commissioner,
Transport Department,
Government of NCT-Delhi

For and on behalf of the Government of Rajasthan:

Sd/-
(S.N. Thanvi)
Principal Secretary Transport,
Transport Department,
Government of Rajasthan, Jaipur

For and on behalf of the Government of Uttar Pradesh:

Sd/-
(Madhukar Dwivedi)
Special Secretary (Transport),
Transport Department,
Government of Uttar Pradesh

Witness:

Sd/-
(Dr. Noor Mohammad)
Member Secretary,
NCR Planning Board,
Ministry of Urban Development,
Government of India

Witness:

Sd/-
(Surendra Kumar)
Deputy Secretary (UT),
Ministry of Urban Development,
Government of India

ANNEXURE - I

Para 2.1 of Regional Plan -2021 for NCR

CONSTITUENT AREAS OF NCR

The Constituent Areas of the National Capital Region are as under: -

a) National Capital Territory of Delhi (1,483 sq kms). This accounts for 4.41% of the total area of NCR.

b) Haryana Sub-region comprising of Faridabad, Gurgaon, Rohtak, Sonepat, Rewari, Jhajjar, Mewat and Panipat districts. This accounts for 30.33% (13,413 sq kms) of the area of the State and 39.95% of the area of NCR.

c) Rajasthan Sub-region comprises of Alwar district. The area is 2.29% (7,829 sq kms) of the total area of the State and 23.32% of the area of NCR.

d) Uttar Pradesh Sub-region comprising of five districts namely, Meerut, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahr and Baghpat. This accounts for 4.50% (10,853 sq kms) of the area of the State and 32.32% of the area of NCR.

Thus, the total area of NCR is 33,578 sq kms as indicated in the Map 2.1 National Capital Region Regional Plan 2021: Constituent Areas.

ANNEXURE - II

NATIONAL CAPITAL REGION
REGIONAL PLAN-2021:CONSTITUENT AREAS

SUB-REGION	AREA (Sq kms)
NCT-DELHI	1483
HARYANA	13,413
RAJASTHAN	7,829
U.P	10,853
TOTAL	33,578

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

MAP 2.1

ANNEXURE - III

Numbers of auto-rickshaws for inter-state movement in NCR

States	From	To	Number of auto-rickshaws
Delhi-Uttar Pradesh	Delhi	Uttar Pradesh	4000
	Uttar Pradesh	Delhi	4000
Delhi-Haryana	Delhi	Haryana	4000
	Haryana	Delhi	4000
Uttar Pradesh-Haryana	Uttar Pradesh	Haryana	1000
	Haryana	Uttar Pradesh	1000
Rajasthan-Haryana	Rajasthan	Haryana	500
	Haryana	Rajasthan	500

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

8.	Name of the bankers (attach reference from the bank)	....
9.	Name of the auditors (a balance sheet and profit and loss statement pertaining to travel business as prescribed under the Company Law must be submitted by the applicant)	....
10.	Income Tax Clearance Certificate from appropriate authorities	....
11.	Activities undertaken by the firm besides travel arrangements	....
12.	(a) Volume of Tourist Traffic handled up to the date of application showing foreign and domestic tourist traffic separately	....
	(b) clientage : any special tourist parties, their size, frequency of visit, etc.	....
	(c) amenities arranged for foreign tourists	....
	(d) steps taken to promote domestic tourist traffic and details of the entities handled, if any	....
	(e) promotional/publicity activities undertaken (with documentary proof)	....
13.	(a) Branches of the firm in the country with complete address(es)	....
	(b) staff employed at the head quarter with their qualifications)	....
14.	Particulars of their foreign firms, if any, with complete address and details of tourist traffic business connection	....
15.	Name(s) of the approved tourist guide(s) being utilized by them	....
16.	In case of any tie-up with airlines/runners, Registration No. and date (with true copy attached)	....
17.	Parking space available/proposed to be used	....
18.	Particulars of drivers i.e. name, father's name, address, driving license number, badge number etc.	....
19.	Particulars of vehicles used e.g. model, vehicle number etc.	....

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the particulars given above are true and I undertake to abide fully by the terms and conditions of the license.

Yours faithfully,

(SIGNATURE OF THE APPLICANT/ DIRECTOR/PARTNER, ETC. WITH SEAL)

Date ....

Place ....

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.

R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सं. फा. 6/47/93-न्यायिक/Suplaw/419-429.—स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अपराधों पर विचारण हेतु विशेष न्यायालय के लिये, सुश्री रविन्द्र कौर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) (दक्षिण-पश्चिम एवं हवाई अड्डा), द्वारका के रूप में, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, नियुक्त करते हैं।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 24th March, 2009

No. F. 6/47/93-Judl./Suplaw/419-429.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Ms. Ravinder Kaur as Additional Sessions Judge/Special Judge (NDPS) (South-West and Airports), Dwarka, as Special Court for trying offences under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 w.e.f. the date she takes over the charge.

दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सं. फा. 6/9/2001-न्यायिक/Suplaw/430-436.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की दिनांक 14 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या यू-11030/4/88-यूटीएल के साथ पठित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (1988 अधिसूचना संख्या 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को विशेष पुलिस स्थापना तथा दिल्ली पुलिस द्वारा अन्वेषण किये गये और भेजे गये भ्रष्टाचार के मामलों पर मुकदमा चलाने के लिये विशेष न्यायाधीश पदनामित करते हैं और वे आगे उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी अपराध विशेष न्यायाधीशों के द्वारा अपने कार्यालयों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सुने तथा निपटाये जायेंगे :—

1. श्री राकेश सिद्धार्थ, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को तीस हजारी न्यायालय के नये न्यायालय में विशेष न्यायाधीश के रूप में (भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम)-06।
2. श्री अमरनाथ, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को रोहिणी में विशेष न्यायाधीश के रूप में (भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम)-02, श्री चन्द्रशेखर के स्थान पर।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
सविता राव, संयुक्त सचिव

Delhi, the 24th March, 2009

No. F. 6/9/2001-Judl./Suplaw/430-436.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No. U-11030/4/88-UTL dated 14th February, 1989, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to designate the following Additional Session Judges, Delhi as Special Judges for trial of corruption cases investigated and sent by the Special Police establishment and the Delhi Police and he is further pleased to specify under sub-section (2) of Section 4 of the said Act, that all offences specified in sub-section (1) of Section 3 of the said Act shall be tried and disposed of by the said Special Judges with effect from the dates they take over their respective charges :—

1. Mr. Rakesh Sidhartha, a member of Delhi Higher Judicial Service as Special Judge (PC Act)-06, Tis Hazari Courts, in a new court.
2. Mr. Amar Nath, a member of Delhi Higher Judicial Service as Special Judge (PC Act CBI)-02, Rohini in place of Mr. Chander Shekhar.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

SAVITA RAO, Jt. Secy.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सं.फा. 23(127)/2007/परिवहन/ओपस/92.—दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 तथा धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 95 की उप-धारा (2) के खंड (xxviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 19 अगस्त, 2008 को दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के संशोधन के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् तथा जिन्हें आपत्तियों और सुझावों पर विचार के लिये 45 दिनों के व्यतीत होने के पश्चात्, नियमों में निम्न रूप से संशोधन करते हैं ;

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2009 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 (इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 2 के उपनियम (1) में

(i) खंड (एन) के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात :—

"(एनएन) 'सचिव (पर्यटन)' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग का प्रभारी;"

(ii) खंड (एस) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को जोड़ा जायेगा, अर्थात् :

"(एसएस) 'पर्यटन विभाग' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग;"

3. नियम 81 में संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 81 में :—

(क) उप नियम (1) के खंड (आई) में 'सचिव (परिवहन)' शब्दों और कोष्ठक जो अंत में आते हैं 'सचिव (पर्यटन)' शब्दों तथा कोष्ठक को प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ख) उप नियम (2) में "राज्य सरकार को की जाएगी" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार के पर्यटन विभाग को प्रपत्र टी.टी.ओ. सहित किया जाएगा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

(ग) उपनियम (15) में —

(i) खंड (क) में "सचिव (परिवहन)" शब्दों और कोष्ठक जो अंत में आते हैं "सचिव (पर्यटन)" शब्दों तथा कोष्ठक को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

(ii) खंड (ग) में अन्त में आने वाले 'सचिव (पर्यटन/परिवहन) नियुक्त कर सकता है' शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर 'सचिव (पर्यटन) नियुक्त कर सकता है' शब्दों और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **नया फार्म टीटीओ का सन्निवेश**.—मूल नियमावली में फार्म टीसीसी के पश्चात् तथा फार्म पीएसयू (ए) से पहले निम्नलिखित फार्म को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"फार्म टी.टी.ओ."

(दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 नियम 81 देखें)

ट्रेवल एजेंट/टूर ऑपरेटर/भ्रमण एजेंट आदि के लाइसेंस के लिए आवेदन

सेवा में,

लाइसेंसिंग अधिकारी (पर्यटन)
पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार
कमरा नं. 176—183, पुराना सचिवालय,
दिल्ली—110 054 ।

महोदय/महोदया

मैं इसके द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 2(टी) तथा 81 के अनुसार ट्रेवल एजेंट/टूर ऑपरेटर/भ्रमण एजेंट आदि के लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हूँ, जिसके लिये मैं 2000 रुपये पंजीकरण शुल्क तथा 10000 रुपये निर्धारित प्रतिभूति ड्राफ्ट प्रदान कर रहा हूँ।

इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित विवरण यहां आगे दिया गया है :—

1 (क) व्यक्ति/फर्म का नाम तथा पता ______________________
(ख) दूरभाष संख्या ______________________
(ग) टेलेक्स ______________________
2 फर्म के कार्यारम्भ का वर्ष ______________________
3. फर्म प्रोपराइटरी/भागीदारी/निजी या सार्वजनिक लि. किस प्रकार की है (फर्म के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) ______________________
4 फर्म के पंजीकरण का मास तथा तारीख दस्तावेजी साक्ष्य लगाएं ______________________
5. बैंक में वित्तीय स्थिति (तुलन पत्र संलग्न करें) ______________________
6. निदेशक/भागीदारी आदि का नाम ______________________

7 निदेशक/भागीदारी का किसी अन्य व्यापार में हिस्से का विवरण ——————————

8 बैंकर का नाम (संदर्भ संलग्न करें) ——————————

9 लेखा परीक्षक का नाम (कंपनी विधि में यथानिर्धारित ट्रेवल व्यापार संबंधी लाभ व हानि का तुलन पत्र आवेदन के साथ जमा करें) ——————————

10 समुचित अधिकारी से आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र ——————————

11 फर्म द्वारा ट्रेवल व्यवस्था के अलावा अन्य क्रिया-कलाप ——————————

12 (क) आवेदन की तिथि तक पर्यटकों को संभालने की मात्रा विदेशी तथा घरेलू पर्यटक अलग-अलग दर्शायें ——————————

(ख) व्यापक : कोई विशेष पर्यटन पार्टी, उसका आकार, दौरे की अवधियां आदि ——————————

(ग) विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सुविधाएं ——————————

(घ) घरेलू पर्यटन आगन्तुकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम तथा आगुतक पार्टियों का विवरण, यदि कोई है- ——————————

(ङ) प्रोत्साहन/प्रचार कार्य (दस्तावेज साक्ष्य सहित) ——————————

13. (क) देश में फर्म की शाखाएं पूरे पते सहित ——————————

(ख) मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी तथा उनकी योग्यताएं ——————————

14 विदेशी फर्मों का विवरण, यदि कोई है, उनका पूरा पता तथा पर्यटकों के व्यवसाय संपर्कों का विवरण ——————————

15. अनुमोदित पर्यटक गाइड का नाम जिसका प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है ——————————

16. यदि एयर लाइन/कैरियर से कोई समझौता है तो पंजीकरण संख्या तथा तिथि (सत्यापित प्रति संलग्न करें) ——————————

17 प्रयोग के लिये प्रस्तावित पार्किंग स्थान ——————————

18. ड्राइवरों के विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या, बैज संख्या आदि ——————————

19 प्रयोग किए गए वाहनों का विवरण जैसे माडल, वाहन संख्या आदि । ——————————

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही है तथा मैं लाइसेंस की शर्तों का पूर्णरूप पालन करूँगा।

दिनांक :

स्थान :

भवदीय,

(आवेदक / निदेशक / भागीदारी आदि के हस्ताक्षर मुहर सहित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th March, 2009

No. F. 23 (127)/2007/Tpt./Ops/92.—In exercise of the powers conferred by clause (xxviii) of sub-section (2) of Section 96 read with clause (41) of Section 2 and Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior publication of the amendments in Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 on 19th August, 2008 and after passing of 45 days since then for taking into consideration any objections and suggestions, is pleased to amend the rules as follows,—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 2.—In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, (hereinafter referred to as "the principal Rules") in rule 2, in sub-rule (1)—

(i) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely :—

"(nn) "Secretary (Tourism)" means the Secretary of the Government of National Capital Territory of Delhi, incharge of the Tourism Department."

(ii) after clause (s), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ss) "Tourism Department" means the Tourism Department of the Government of National Capital Territory of Delhi;"

3. Amendment of Rule 81.—In the principal rules, in rule 81,

(a) in sub-rule (1), in clause (i), for the words and brackets "Secretary (Transport)", occurring at the end, the words and brackets "Secretary (Tourism)", shall be substituted.

(b) in sub-rule (2), for the words "shall be made to State Government", the words "shall be made to Tourism Department of the State Government in form T.T.O. alongwith" shall be substituted.

(c) in sub-rule (15)—

(i) in clause (a), for the words and brackets "Secretary (Transport)" occurring at the end, the words and brackets "Secretary (Tourism)" shall be substituted;

(ii) in clause (c), for the words and brackets "Secretary (Tourism/Transport) may appoint", occurring at the end, the words and brackets "Secretary (Tourism) may appoint" shall be substituted.

4. Insertion of new form TTO.—In the principle rules, after form "P.C" and before form P.S.C. (A), the following form shall be inserted, namely :—

"FORM T.T.O."

[See Rule 81 of Delhi Motor Vehicles Rules, 1993]

APPLICATION FOR A LICENCE AS TRAVEL AGENT/TOUR OPERATOR/EXCURSION AGENT ETC.

To

The Licensing Authority (Tourism),

Tourism Department,

Govt. of N.C.T. of Delhi,

Room No. 176-183, Old Secretariat,

Delhi-110054

Sir/Madam,

I hereby apply for the license of a Tour Operator/Travel Agent/Excursion Agent as per Rules 2(1) and 81 of the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993, for which I hereby tender registration fee of Rs. 2000 and Security Draft of Rs. 10000 as prescribed under the same.

The particulars required for the purpose are given hereunder

1. (a) Name of the person/firm with address(es) ....

(b) Telephone No. (s) ....

(c) Telex ....

2. Year the firm started working ....

3. Whether the firm is proprietary/partnership Private or public limited (please attach copy of Certificate of Registration in case of a firm) ....

4. Month and date when the firm was registered with documentary proof ....

5. Financial position in Bank (please attach Balance sheet) ....

6. Name(s) of the Director/Directors/partner/partners, etc. ....

7. Details of interests, if any, in any other business of the Director/Directors/partner/partners etc. ....